120

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
श्रृंखला न्यायालय रीवा म0प्र0

आवेदक की ओर से श्री विवेक शर्मा एड-व्हाय पेश। 2-1-14

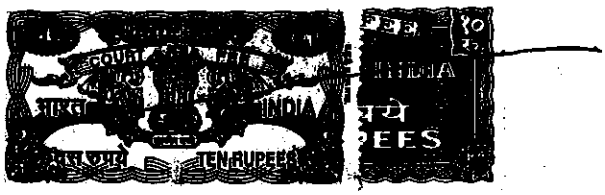

01
2-1-14

R-637-II/14

रमेश गुप्ता तनय मोहन धानी उम्र 45 साल, पेशा खेती, निवासी ग्राम कुवपाही, तहसील सिहावल हाल तहसील बहरी, जिला सीधी मध्य प्रदेश -------निगरानीकर्ता

बनाम

1/ शोभनाथ गुप्ता तनय रामिमलन गुप्ता उम्र 50 साल, निवासी ग्राम कुवपाही, तहसील सिहावल, हाल तहसील बहरी, जिला सीधी म0प्र0 ।

2/ मध्य प्रदेश शासन ------- गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील बहरी, जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-19/अ-5/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 2/5/2013 जिसके तहत नितांत अवैधानिक तरीके से नक्शा तर्मीम का आदेश पारित किया गया है, को अपास्त किये जाने हेतु ।

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है:----

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य :-

(क) यह कि उत्तरवादी/गैरनिगरानीकर्ता क्रमांक-1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील बहरी, जिला सीधी के समक्ष स्थित ग्राम कुवपाही, तहसील बहरी, जिला सीधी की आराजी खसरा क्रमांक-761/2/0.03 हे0, 762/2 रकबा 0.04 हे0 एवं आराजी खसरा क्रमांक-768/2 रकबा 0.09 हे0 भूमियों

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 637–तीन/2014 निगरानी जिला सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-09-17	निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक अभिभाषक के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुके हैं। यह निगरानी तहसीलदार बहरी जिला सीधी के प्रकरण कमांक 19 अ–5/12–13 में पारित आदेश दिनांक 2–5–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार बहरी जिला सीधी के आदेश दिनांक 2–5–13 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार ने इस आदेश से ग्राम कुचवाही की भूमि सर्वे कमांक 762/2, 768/2, 761/2 का नक्शा तर्मीम करके भूमि का बटांकन किया है। तहसीलदार का यह आदेश मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 70 सहपठित 68 के अंतर्गत है जिसकी प्रथम अपील उपखंड अधिकारी को होगी। फलतः राजस्व मण्डल में सीधी निगरानी श्रवण करने से आवेदक अपीलीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार से दूर हो जावेगा। आवेदक चाहे इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ सक्षम न्यायालय में 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। फलतः निगरानी निष्फल रहने से इसी–स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	